

[2025] 1 एस.सी.आर. 1491 : 2025 आईएनएससी 172

जैस्मीनभाई भारतभाई कोठारी

बनाम

गुजरात राज्य

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 45970/2023)

30 जनवरी 2025

[विक्रम नाथ और संदीप मेहता, जे.जे.]

विचार के लिए बिंदु

उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 के आदेश XXII नियम 5 का साधारण पठन और व्याख्या:

मुख्य बिंदु[†]

उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013— आदेश XXII नियम 5 की व्याख्या— वर्तमान विशेष अनुमति याचिका उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2023 को पारित उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को दी गई अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था— वर्तमान विशेष अनुमति याचिका प्राथमिकता देते समय, याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण से छूट प्राप्त करने हेतु एक अंतर्वर्ती आवेदन भी दायर किया था— उक्त आवेदन रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया गया था और माननीय चैंबर न्यायाधीश द्वारा दिनांक 08.12.2023 के आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया गया है:

अभिनिर्धारित: इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय यह है कि आत्मसमर्पण से छूट मांगने वाले अंतर्वर्ती आवेदन पर पहली बार में ही विचार नहीं किया जा सकता था— यह निष्कर्ष उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 के आदेश XXII नियम 5 के साधारण पठन और व्याख्या पर आधारित है— उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आत्मसमर्पण से छूट के लिए अंतर्वर्ती आवेदन केवल तभी स्वीकार्य है जहाँ विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता को 'कारावास की सजा' सुनाई गई हो, और किसी अन्य स्थिति में नहीं— इस न्यायालय की रजिस्ट्री विभिन्न अन्य श्रेणियों के मामलों में आत्मसमर्पण से छूट के आवेदनों को स्वीकार करती रही है, जैसे कि अग्रिम जमानत की अस्वीकृति, अंतरिम जमानत के विस्तार की प्रार्थना की अस्वीकृति, आदि। इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि आत्मसमर्पण से छूट चाहने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है

और न ही इसे माननीय चैंबर न्यायाधीश के समक्ष किसी भी विशेष अनुमति याचिका में सूचीबद्ध किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई हो- यह आदेश माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उन मामलों से संबंधित फाइलिंग, जांच और नंबरिंग अनुभागों को औपचारिक निर्देश प्राप्त हो सकें जिनमें आदेश XXII नियम 5 लागू होगा- वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, चूंकि अंतर्वर्ती आवेदन खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी जमानत बढ़ाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली वर्तमान विशेष अनुमति याचिका अब निष्प्रभावी/निरर्थक हो गई है। [पैरा 4,5,6,11]

उद्धृत वाद कानून

कपूर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2021) 18 एससीसी 579- पर भरोसा किया गया।
महावीर आर्य बनाम दिल्ली राज्य सरकार एनसीटी और एएनआर, विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) [डायरी संख्या 2021 का 8160]; मयूरम सुब्रमण्यम श्रीनिवासन बनाम सीबीआई [2006] सुप 3 एससीआर 48: (2006) 5 एससीसी 752; विवेक राय और झारखंड का एक अन्य बनाम उच्च न्यायालय [2015] 1 एससीआर 1014: (2015) 12 एससीसी 86; दिलीप मजूमदार बनाम निकुंजा दास और अन्य, विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) [डायरी संख्या 2020 का 6517]; संजीत साहा और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2023] 15 एससीआर 83 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1693- संदर्भित ।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; शस्त्र अधिनियम, 1959; उच्चतम न्यायालय नियम, 2013।

मुख्य शब्दों की सूची

सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XXII नियम 5; समर्पण से छूट।

वाद उत्पत्ति

अपराधिक अपील न्यायनिर्णय: विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) डायरी संख्या 45970/2023

अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के 19.10.2023 दिनांकित सीआरएमए संख्या 9/2023 के आर/सीआरएमए संख्या 417/2019 के निर्णय और आदेश से

पक्षों के लिए उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता:

मिस आंचल जैन, करण दीवान।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. यह वर्तमान याचिका गुजरात उच्च न्यायालय¹ द्वारा पारित दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 417/2009 में उसे दी गई अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। उक्त आपराधिक अपील में, याचिकाकर्ता ने विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय भावनगर द्वारा दिनांक 3 नवंबर, 2018 के निर्णय के माध्यम से, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1) (बी) (ए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दी गई दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है।
2. हमने इस याचिका की सूची में एक स्पष्ट विसंगति देखी है जिसे हम स्पष्ट करने और संबोधित करने का प्रस्ताव करते हैं।
3. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर करते समय, याचिकाकर्ता ने समर्पण से छूट की मांग करते हुए एक अंतर्वर्ती आवेदन² भी दायर किया। उक्त आवेदन रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया गया था और 8 दिसंबर 2023 के आदेश के अनुसार माननीय न्यायाधीश- इन-चैंबर द्वारा खारिज कर दिया गया है।
4. हमारी प्रथमदृष्टया राय है कि उपरोक्त आवेदन पर पहली बार में ही विचार नहीं किया जा सकता था। हमारा निष्कर्ष उच्चतम न्यायालय नियम, 2013³ के आदेश XXII नियम 5 के सरल पठन और व्याख्या पर आधारित है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“जहाँ अपीलार्थी को कारावास की सजा सुनाई गई है, वहाँ अपील की याचिका में यह उल्लेख किया जाएगा कि क्या अपीलार्थी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और यदि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो अपीलार्थी ऐसे आत्मसमर्पण के प्रमाण के रूप में, उस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति, जिसमें उसने आत्मसमर्पण किया है, या उस जेल के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, जिसमें वह सजा काट रहा है, दाखिल करेगा। केवल जेल अधिकारियों द्वारा वकालतनामा पर हस्ताक्षरों का सत्यापन आत्मसमर्पण का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जाएगा। जहाँ अपीलार्थी ने सजा के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया है, वहाँ अपील की याचिका को रजिस्ट्री द्वारा

तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ आत्मसमर्पण से छूट मांगने वाला आवेदन संलग्न न हो। जहाँ अपील की याचिका के साथ आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन संलग्न होता है, वहाँ केवल उस आवेदन को ही पहली बार में न्यायालय के समक्ष सुनवाई के आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।”

(रेखांकित किया गया)

5. उपरोक्त नियम के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि समर्पण से छूट के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन केवल तभी स्वीकार्य है जब विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई हो और किसी अन्य स्थिति में नहीं।
6. हमने यह देखा है कि इस न्यायालय की रजिस्ट्री विभिन्न अन्य श्रेणियों के मामलों में आत्मसमर्पण से छूट के आवेदनों को स्वीकार करती रही है, जैसे कि अग्रिम जमानत की अस्वीकृति, अंतरिम जमानत के विस्तार की प्रार्थना की अस्वीकृति, आदि।
7. **महावीर आर्य बनाम राज्य सरकार एनसीटी दिल्ली एवं अन्य⁴** के मामले में, माननीय श्री न्यायमूर्ति पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा ने, चैंबर में बैठते हुए, उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 के आदेश XXII नियम 5 की व्याख्या की और यह माना कि उक्त आदेश केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई हो और इसे जमानत रद्द करने के साधारण आदेशों के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है।
8. **कपूर सिंह बनाम हरियाणा राज्य⁵** में, इस न्यायालय ने जमानत रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका में, इसी तरह के तर्क पर आत्मसमर्पण करने से छूट की मांग करने वाले अंतर्वर्ती आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि:

“6. मेरे सुविचारित मत में, उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में, याचिकाकर्ता के निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XXII नियम 5, किसी व्यक्ति के लिए आत्मसमर्पण करना या आत्मसमर्पण करने से छूट लेना अनिवार्य बनाता है, केवल तभी जब उसे कारावास की सजा सुनाई गई हो। याचिकाकर्ता को इस विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दिए गए आदेशों के माध्यम से किसी भी कारावास की सजा नहीं सुनाई गई है। वे आदेश जिनसे उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका उत्पन्न होती है, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 143-ए के तहत जारी निर्देशों का

पालन करने में विफलता के कारण पारित किए गए आदेश हैं।

9. जब परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 143-ए(5) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421(1) कारावास की सजा निर्धारित नहीं करती है और जब विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दिए गए आदेश किसी निश्चित अवधि के कारावास के दंड को चुनौती नहीं देते हैं, तो याचिकाकर्ता के आत्मसमर्पण करने या आत्मसमर्पण से छूट मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे शब्दों में, इस प्रकृति के मामलों में, रजिस्ट्री नियमावली के आदेश XXII नियम 5 के तहत न तो आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र और न ही आत्मसमर्पण से छूट के आवेदन पर जोर दे सकती है।”

(रेखांकित किया गया)

9. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा मयूरम सुब्रमण्यम श्रीनिवासन बनाम सीबीआई⁶; विवेक राय और अन्य बनाम झारखंड उच्च न्यायालय⁷; दिलीप मजूमदार बनाम निकुंज दास एवं अन्य⁸; और संजीत साहा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य⁹ के मामलों में भी अपनाया गया था।
10. उच्चतम न्यायालय नियमावली, 2013 के आदेश XXII नियम 5 की स्पष्ट शब्दावली और इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित क्रमिक आदेशों को देखते हुए, हमारा यह दृढ़ मत है कि आत्मसमर्पण से छूट मांगने वाले आवेदन पर किसी भी विशेष अनुमति याचिका में माननीय चैंबर न्यायाधीश के समक्ष विचार नहीं किया जा सकता है और न ही उसे सूचीबद्ध किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई हो। यह आदेश भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संबंधित फाइलिंग, जांच और नंबरिंग अनुभागों को औपचारिक निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन मामलों से संबंधित हैं जिनमें आदेश XXII नियम 5 लागू होगा।
11. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, चूंकि याचिकाकर्ता ने अंतरिम आवेदन (उपरोक्त) की अस्वीकृति के बाद पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी जमानत बढ़ाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली वर्तमान विशेष अनुमति याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है।
12. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका को निष्प्रभावी होने के कारण निस्तारित किया जाता है।
13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

वाद का परिणाम: एसएलपी खारिज कर दी जाती है।*

*मुख्य बिंदु तैयार किए गए: अंकित ज्ञान

-
- 1 संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय'
 - 2 आइ ए संख्या 248997/2023
 - 3 संक्षेप में, 'एससी रूल्स 2013.'
 - 4 विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) [डायरी संख्या 8160/2021]
 - 5 (2021) 18 एससीसी 579।
 - 6 (2006) 5 एससीसी 752.
 - 7 (2015) 12 एससीसी 86.
 - 8 विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) [डायरी संख्या 6517/2020]
 - 9 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1693.

अनुवादक: दीपिका

* **एंड नोट:** 21 फरवरी, 2025 के बाद के आदेश के माध्यम से, 30 जनवरी, 2025 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 11 और 12 में दर्ज इस तथ्य को कि 'अभियुक्त ने आत्मसमर्पण कर दिया है', संशोधित किया गया था और उक्त पैराग्राफों को निम्नानुसार पढ़ने का निर्देश दिया गया था: "याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए मौखिक तर्क को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता फरार है, याचिकाकर्ता को दी गई अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को खारिज किया जाता है।"